

30
बिहार सरकार

बिहार विधान सभा

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)
अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम संख्या-16/2006)

[बिहार विधान मंडल द्वारा पारित]



बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006

विषय-सूची ।

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें ।
4. नेता विरोधी दल के वेतन एवं भत्ते ।
5. मुख्य सचेतक वगैरह के वेतन एवं भत्ते ।
6. संसदीय सचिव की नियुक्ति तथा उनके वेतन एवं भत्ते ।
7. पूर्व सदस्यों के पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें ।
8. नियम बनाने की शक्ति ।
9. निरसन एवं व्यावृत्ति ।

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006

भारत संविधान के अनुच्छेद 195 में प्रदत्त प्रावधान के तहत बिहार विधान मण्डल के सदस्यों को वेतन, भत्ता और पेंशन निर्धारित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है :-

1. **संक्षिप्त नाम, एवं प्रारम्भ।** - (1) यह अधिनियम बिहार विधान मण्डल सदस्यों का (वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।
(2) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. **परिभाषाएं।** - जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस अधिनियम में :-
 - (क) "सभा" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा।
 - (ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है, बिहार विधान परिषद्।
 - (ग) "सदस्य" से अभिप्रेत है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति, मंत्री, संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक (सत्तारूढ दल), उप मुख्य सचेतक, सचेतक, मुख्य सचेतक (मुख्य विपक्षी दल) एवं सदन नेता एवं उप नेता (बिहार विधान परिषद्) को छोड़कर सभा या परिषद् का कोई सदस्य।
 - (घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान सभा का अध्यक्ष ;
 - (ङ) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष।
 - (च) "सभापति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान परिषद् का सभापति ;
 - (छ) "उप सभापति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार निर्वाचित बिहार विधान परिषद् का उप सभापति।
 - (ज) "मंत्री" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अधीन राज्यपाल द्वारा उस रूप में नियुक्त व्यक्ति।
 - (झ) "संसदीय सचिव" से अभिप्रेत है, मुख्य मंत्री द्वारा संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त कोई सदस्य।
 - (ञ) "नेता विरोधी दल" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् में यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति के द्वारा सदन में मुख्य विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति।

स्पष्टीकरण — जहां दो या दो से अधिक विपक्षी दलों के सदस्यों की संख्या सभा या परिषद् में समान हो, वैसी स्थिति में अध्यक्ष अथवा सभापति स्व-विवेक से जिस विपक्षी दल के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देंगे वह सर्वमान्य होगा।

- (ठ) "मुख्य सचेतक", "उप मुख्य सचेतक" और "सचेतक" से अभिप्रेत है ऐसा सदस्य जो सरकार गठित करनेवाले सत्तारूढ़ दल द्वारा मुख्य सचेतक, उप-मुख्य सचेतक और सचेतक के रूप में नियुक्त हुआ हो तथा मान्यता प्राप्त मुख्य विरोधी दल के मुख्य सचेतक।
- (ड) "सदन नेता" एवं "उप नेता" से अभिप्रेत है ऐसा कोई सदस्य जो सरकार गठित करनेवाले सत्तारूढ़ दल द्वारा बिहार विधान परिषद् में सदन नेता एवं उपनेता नियुक्त हुआ हो।
- (ढ) "संयुक्त समिति" — संयुक्त समिति से तात्पर्य है सभा एवं परिषद् द्वारा नियुक्त ऐसी समिति जिसमें सभा एवं परिषद् दोनों के सदस्य शामिल हों।
- (णा) विधान सभा तथा विधान परिषद् की समिति से तात्पर्य है यथा स्थिति विधान सभा या विधान परिषद् द्वारा अथवा यथास्थिति उसके अध्यक्ष या सभापति द्वारा नियुक्त उनके सदस्यों से बनी समिति।
- (त) "विधान सभा का अधिवेशन" से तात्पर्य है विधान सभा का अधिवेशन जो राज्यपाल द्वारा बुलाया जाय।
- (थ) "विधान परिषद् का अधिवेशन" से तात्पर्य है विधान परिषद् का अधिवेशन जो राज्यपाल द्वारा बुलाया जाय।
- (द) "सत्र" से अभिप्रेत है राज्यपाल द्वारा आहूत सभा या परिषद् की पहली बैठक से उसके अवसान तक की अवधि।
- (ध) "सदन" से तात्पर्य है बिहार विधान मण्डल का कोई सदन।

3. सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें। —

प्रत्येक सदस्य,

- (क) भारत के चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में विधिवत अधिसूचित किए जाने की तिथि से ;
 - (ख) राज्यपाल के द्वारा जिस जगह के लिए मनोनयन किया जाना है, उस जगह के लिए उनके द्वारा मनोनयन की तिथि से या यदि मनोनयन, पद रिक्त होने के पूर्व किया जाता है, तो पद के रिक्त होने की तिथि से ;
- सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित नियमावली के अधीन तय पैमाने एवं शर्तों के अनुसार वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें के हकदार होंगे।

4. नेता विरोधी दल का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें। —

नेता विरोधी दल का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें। — नेता विरोधी दल सरकार के द्वारा समय-समय अवधारित नियमावली के अधीन तय पैमाने एवं शर्तों के अनुसार वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें के हकदार होंगे।

5. **मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक, नेता एवं उप नेता बिहार विधान परिषद् के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।** — उपर्युक्त पद धारकों सरकार के द्वारा समय-समय पर अवधारित नियमावली के अधीन तय पैमाने एवं शर्तों के अनुसार वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें के हकदार होंगे।
6. **संसदीय सचिव का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।** — संसदीय सचिव सरकार के द्वारा समय-समय पर अवधारित नियमावली के अधीन तय पैमाने एवं शर्तों के अनुसार वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें के हकदार होंगे।
7. **पूर्व सदस्यों को पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।** — वैसा कोई व्यक्ति, जिसने, यथा स्थिति,
- (क) बिहार विधान सभा के सदस्य के रूप में, या
- (ख) बिहार विधान परिषद् सदस्य के रूप में, या
- (ग) अंशतः बिहार विधान सभा और या अंशतः बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में,
- सम्यक् रूप से निर्वाचित होने या नाम निर्दिष्ट होने की तिथि से सेवा की हो अथवा सेवा करेंगे,
- सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित नियमावली के अधीन तय पैमाने एवं शर्तों के अनुसार पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें के हकदार होंगे।
8. **नियम बनाने की शक्तियाँ।** — (1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना निकालकर इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियमावली बना सकेगी।
- (2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली निम्नलिखित, समस्त या किसी विषय के लिए उपबन्ध कर सकेगी, यथा —
- (क) सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण एवं उसकी निकासी की प्रक्रिया।
- (ख) नेता प्रतिपक्ष का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।
- (ग) मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक वगैरह के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।
- (घ) संसदीय सचिव का वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।
- (ङ) पूर्व सदस्यों के पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।
- (3) इस अधिनियम के तहत बनाए जानेवाला प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष जब वे सत्र में हो कुल 14 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है। यदि उपर्युक्त सत्र या उपर्युक्त

उत्तरवर्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह नियम न बनाया जाए तो तत्पश्चात् नियम यथास्थिति उस उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कोई उपान्तरण इस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

9. **निरसन एवं व्यावृत्ति।** — बिहार विधान मण्डल (सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 1960 एवं उसमें अब तक के सभी संशोधन अधिनियम एवं

बिहार विधान मण्डल, नेता विरोधी दल, वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1977.

इस अधिनियम के अधीन नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जायेंगे :

. परन्तु, ऐसे निरसन से उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से किये गये कार्य प्रभावित नहीं होंगे :

परन्तु, यह भी कि, जबतक इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली नहीं बनायी जाती हैं, तबतक पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली प्रभावी मानी जायेगी।